(2024) 8 एस.सी.आर. 287: 2024 आईएनएससी 598

राहुल

बनाम

नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लि0 तथा एक अन्य

(सिविल अपील सं0 8614 वर्ष 2024)

09 अगस्त 2024

(सुधांशु धूलिया और आर. महादेवन रचयिता, न्यायमूर्तिगण)

विचारणीय मुद्दा

उच्च न्यायालय क्या स्वयं को देय प्रतिकर का निर्धारण करते समय 25 प्रतिशत जैसा अधिकरण द्वारा नियत किया गया से 20 प्रतिशत तक पिछली सवारी जिसकी दुर्घटना हुई थी द्वारा भुगते गये निःशक्तता के प्रतिशत को कम करने में न्यायानुमत है।

शीर्ष टिप्पणियाँ

मोटर यान अधिनियम, 1988-मोटर, दुर्घटना - प्रति कर - मोटर सायकिल पर दावेदार- पिछली सवारी द्वारा मोटर दुर्घटना में हुए निःशक्तता के प्रतिशत को 25 प्रतिशत जैसा अधिकरण द्वारा नियत किया गया से उच्च न्यायालय द्वारा 20 प्रतिशत की कमी तथा प्रतिकर का पुर्ननिर्धारण किया गया- विशुद्धता:

अभिनिर्धारित: पिछली सवारी की सर्जरी की गई जिसमें प्लेट तथा स्क्रू को इसके हाथों में प्लांट किया गया - डाक्टर द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाणपत्र के अनुसार, पिछली सवारी को 50 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता हुई तथा उक्त डाक्टर को भी अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षित किया गया था- मौलिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करते हुए, अधिकरण ने पिछली सवारी के निःशक्तता केवल 25 प्रतिशत पर लिया था तथा इसे देय प्रतिकर का निर्धारण किया था- युक्तियुक्त कारण दिये बिना, उच्च न्यायालय ने पिछले सवारी द्वारा भुगते गये निःशक्तता को कम करते हुए प्रतिकर का पुर्ननिर्धारण 20 प्रतिशत किया था- प्रतिकर का घटाना आवश्यक नही था, जब इसके समर्थन में आधार नही था - इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त तथा 25 प्रतिशत पर पिछली सवारी के निःशक्तता को नियत करने वाले अधिकरण का निर्णय प्रत्यावर्तित। (पैरा, 10, 11)

प्रमुख शब्दों की सूची

हुए निःशक्तता के प्रतिशत को कम करना; प्रतिकर; मोटर दुर्घटना; निःशक्तता प्रमाणपत्र; स्थायी निःशक्तता; प्रतिकर की कमी।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं0 8614 वर्ष 2024 एमएफए सं0 103118 वर्ष 2024 में कर्नाटक उच्च न्यायालय सर्किट पीठ धारवाड़ के निर्णय तथा आदेश दिनांक 13-11-2018 से

अधिवक्तागण

मंजूनाथ मेलेद, श्रीमती विजय लक्ष्मी मेलेद, गणेश कुमार आर, अपीलार्थी के अधिवक्तागण।

मनुलव शहलिया, सुश्री मंजीत चावला, आविद अली, मानेक शर्मा, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

आर0 महादेवन, न्यायमूर्ति

1. विलम्ब माफ किया गया।

2. अनुमति प्रदान की गई।

3. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ पीठ (एतस्मिन् पश्चात संक्षेप में ''उच्च न्यायालय'' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 13-11-2018 को चुनौती देता है तद्द्वारा प्रत्यर्थी सं0 1 (एतस्मिन्पश्चात ''बीमा कम्पनी'' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा दाखिल एमएफए सं0 103118/2014 (एम वी) को भागतः अनुज्ञात किया गया है।

4. आरंभ में, अपीलार्थी ने मोटर दुघर्टना जो 27-01-2013 को घटित हुई थी जब बीमा कंपनी से बीमाकृत मोटर साइकिल पंजीकरण सं0 केए- 23/ईसी-6369 में पिछली सवारी के रूप में यात्रा कर रहा था में इसे हुए क्षत्रियों के लिए रु0 20,00,000/- के प्रतिकर की मांग करते हुए वरिष्ठ सिविल जज एवं एमएसीटी रायवाग (एतस्मिन् पश्चात संक्षेप में ''अधिकरण'' के रूप में निर्दिष्ट) के समक्ष एमएसी सं0 1587 वर्ष 2013 में दावा याचिका दाखिल किया था। मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित, अधिकरण ने इसे हुए 25 प्रतिशत निःशक्तता को ध्यान में रखने के पश्चात अपीलार्थी को देय प्रतिकर के रूप में याचिका की तिथि से जमा किये जाने तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ रु0 5,38,872/- की धनराशि अधिनिर्णीत किया था। इससे व्यथित, बीमा कम्पनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एमएफए सं0 103118 वर्ष 2014 (एमवी) में अपील दाखिल किया था।

5. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, उच्च न्यायालय ने निःशक्तता को मात्र 20 प्रतिशत पर ध्यान में रखते हुए इसे रु0 4,74,072/- तक कम करते हुए प्रतिकर का पुनर्निर्धारण किया था तथा अंतिम निर्णय दिनांक 13-11-2018 द्वारा अपील को भागतः अनुज्ञात किया था, जिसे हमारे समक्ष चुनौती दिया गया है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी से संबंधित चिकित्सा अभिलेखों प्रदर्श पी 56 से 60 की तरफ इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी को तीन क्षतियाँ हुई थी अर्थात दांए बहिः प्रकोष्ठिका का अस्थिभंग, बायें बहिः प्रकोष्ठिका का अस्थिभंग तथा अंत प्रकोष्ठिका के काण्ड कण्टक का अस्थिभंग जिसके लिए, इसकी सर्जरी की गई थी तथा इसके दोनों हाथों में प्लेट तथा स्क्रू प्लांट किया गया था। डाक्टर एन.वाई. जोशी ने इस आशय का निःशक्तता प्रमाणपत्र दिया था कि अपीलार्थी को पूर्णतया 50 प्रतिशत पर निःशक्तता हुई थी। इस पर आधारित, अधिकरण ने 25 प्रतिशत निःशक्तता को ध्यान में रखते हुए मद ''भावी आय की हानि'' के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण किया था। फिर भी, उच्च न्यायालय ने यह संप्रेक्षित करते हुए अपीलार्थी द्वारा भुगते गये निःशक्तता को 20 प्रतिशत कम करते हुए प्रतिकर का पुनर्निर्धारण किया था कि डाक्टर जिसने निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया था को अधिकरण के समक्ष परीक्षित नही किया गया था, जो त्रुटिपूर्ण है। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी किसान होने के नाते, स्वयं को निःशक्तता के कारण खेती के कार्यों को करने में असमर्थ है। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हमारे हस्तक्षेप तथा तद्द्वारा अपीलार्थी को देय प्रतिकर को बढ़ाने की मांग किया है।

7. दूसरी तरफ, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए अपीलार्थी को न्यायपूर्ण तथा उचित प्रतिकर अधिनिर्णीत किया है तथा अतः इस अपील को खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

9. एक मात्र विवाद्यक जो हमारे विचारार्थ पैदा होता है यह है कि क्या उच्च न्यायालय इसे देय प्रतिकर का निर्धारण करते समय अपीलार्थी को हुए निःशक्तता के प्रतिशत को 25 प्रतिशत जैसा अधिकरण द्वारा निर्धारित है से 20 प्रतिशत कम करने में न्याय संगत है।

10. दुर्घटना तथा बीमा कंपनी से बीमाकृत मोटर साइकिल की संलिप्तता का तथ्य विवादित नही है। अभिलेखों अर्थात अपीलार्थी के चिकित्सा अभिलेखों-प्रदर्श पी 56 से पी 60, और विशेष रूप से, प्रदर्श पी 56 घाव प्रमाणपत्र के परिशीलन से, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दुर्घटना में निम्न क्षतियाँ हुई है:

(i) दाये वहिः प्रकोष्ठिका के काण्ड तथा अंतः प्रकोष्ठिक तथा दाये प्रबाहु के अस्थि का ऊपरी 1/3 विस्थापित अस्थि भंग।

(ii) अंतः प्रकोष्ठिक शुकाभ का अस्थिभंग तथा बायें बहिः प्रकोष्ठिका के दूरस्थ सिरा के कोणित अस्थिभंग का साक्ष्य।

आगे, उपरोक्त क्षतियों के लिए, अपीलार्थी की सर्जरी की गई थी, जिसमें, इसके हाथों में प्लेट तथा स्क्रू प्लाण्ट किया गया था। डाक्टर एन.वाई. जोशी द्वारा जारी प्रदर्श पी 57 निःशक्तता प्रमाणपत्र के अनुसार, अपीलार्थी को स्थायी निःशक्तता हुई थी तथा उक्त डाक्टर को भी वादी साक्षी 2 के रूप में परीक्षित किया गया था। इन सभी मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करते हुए, अधिकरण ने अपीलार्थी के निःशक्तता को केवल 25 प्रतिशत पर स्वीकार किया है तथा इसे देय प्रतिकर का निर्धारण किया है। युक्तियुक्त कारण को दिये बिना, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को हुए निःशक्तता को 20 प्रतिशत तक कम करते हुए प्रतिकर का पुर्ननिर्धारण किया है। मेरी राय यह है कि प्रतिकर का कम किया जाना आवश्यक नही है, विशेष रूप से, तब जब इसके समर्थन में आधार नही है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय हस्तक्षेप किये जाने योग्य है।

11. तद्नुसार, एमएफए सं0 103118 वर्ष 2014 (एवी) में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 13-11-2018 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी के निःशक्तता को 25 प्रतिशत पर निर्धारित करने वाले एमएसी सं0 1587 वर्ष 2013 में अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-06-2014 को प्रत्यावर्तित किया जाता है। बीमा कम्पनी को इस निर्णय की प्रति प्राप्त करने की तिथि से चार सप्ताह के अवधि के अन्दर अधिकरण के समक्ष पहले जमा धनराशि को समायोजित करने के पश्चात ब्याज जैसा अधिकरण द्वारा निर्धारित है के साथ सम्पूर्ण प्रतिकर जमा करने का निदेश दिया जाता है। इस प्रकार जमा किये जाने पर अपीलार्थी को इसे वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

12. इस सिविल अपील को अनुज्ञात किया जाता है।

मामले का परिणामः अपील अनुज्ञात

निधि जैन द्वारा शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गई।

(यह अनुवाद शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)